न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 11 / 2019

जगदीश पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रार्थी

– बनाम –

1. रामकुवार पुत्र सुरजा
2. धारा सिंह पुत्र सुरजा
3. गोरधन पुत्र श्योराम
4. बनवारी पुत्र श्योराम
5. बूंटीराम पुत्र श्योराम
6. सुभाष चन्द्र पुत्र श्योराम
7. सुप्यार पुत्री श्योराम
8. गिरधारी पुत्र तेजा
   जति समस्त बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अं.धारा 111, 128 रा0भू0राज0 अधि0

वकील प्रार्थी : शिवकुमार बंका
वकील अप्रार्थी : एक पक्षीय

निर्णय

निर्णय दिनांक 05–03–2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बुगाला की तन में प्रार्थी की भूमि खसरा 1494 / 521, 1597 / 521 रकबा क्रमशः 2.31, 0.02 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.33 हैक्टर स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 518, 516, 520 रकबा क्रमशः 2.04, 1.65, 0.40 हैक्टर स्थित है। उक्त खातेदारों की भूमि की सीमा पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि स्थित है।

प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 1494 / 521 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1597 / 521 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.33 हैक्टर पर काबिज है तथा प्रार्थी की भूमि के पड़ौस में अनावेदकगण की भूमि की सीमा स्थित है। जो आये दिन क्षति पहुंचाते है, सीमा को काटते है, सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते है, जिससे मौके पर शांतिभंग होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी अकेला है, जो कानून में विश्वास रखता है जबकि अप्रार्थीगण संख्या में ज्यादा है जो प्रार्थी की भूमि को नाजायज तरीके से हड़पना चाहते है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी भूमि की सुरक्षा की सुरक्षा हेतु भूमि खसरा नम्बर 1494 / 521 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1597 / 521 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1494 / 521 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1597 / 521 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर के कब्जे के अनुसार सीमाज्ञान करवा चुका है सीमा ज्ञान की सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1494 / 521 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नम्बर

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:00:56 IST
Reason: SelfAttested

/521 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। इसलिये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान करे। ताकि भविष्य मे कोई विवाद नही हो। मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे। भविष्य मे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1494/521, 1597/521 रकबा क्रमशः 2.31, 0.02 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की सीमाओ पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अप्रार्थीगण जारी अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 8 की ओर से वकील श्री शीशुपाल सिंह कुल्हरी ने अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 व 9 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 8 पेश नही किया तथा वकील आवेदक एवं वकील अनावेदक ने उपस्थित हो, तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 27.06.2018 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने की सहमति प्रदान की गई। उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से दिनांक 27.06.2018 को करवाया गया। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान की सहमति होने तथा न्यायोचित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बुगाला की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1494/521, 1597/521 रकबा क्रमशः 2.31, 0.02 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 27.06.2018 के अनुसार वर्णित भूमि के सीमाओं पर नियमानुसार शुल्क राजकोष जमा करवाये जाकर पत्थरगड्डी करवाये जाने बाबत तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर (R.A.S))
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2021.12.10 14:00:56 IST
Reason: SelfAttested